डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

इजलास :– बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

मु0 उनवान :–

1 सत्यप्रकाश पुत्र निरोतीदास जाति बैरागी निवासी कस्बा जरिहा राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर। ––– वादी

बनाम

1	कान्ता	पुत्रीयान श्री गोपाल	जाति बैरागी निवासी कस्बा जरिया राजाखेडा तहसील राजाखेडा
2	राधा		
3	निम्मो		
4	कमलेश		
5	निरंजन	पुत्रगण श्री गोपाल	
6	सुभाष		
7	राजू		
8	वीरेन्द्र		

9 हरीओम पुत्र नत्थीलाल जाति बनिया निवासी कस्बा जरिहा राजाखेडा तहसील राजाखेडा

10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा जरिये प्रबंधक

11 तहसीलदार राजाखेडा बहैसियत लैंडहोल्डर।

––– प्रतिवादीगण

दावाः– दावा स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राजाता बंटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 53, 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 101 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री आर0एस0चौहान अभिभाषक बादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा न0 1089 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा (0.3541 है0) बांके कस्बा महदवार नं0 1 तहसील राजाखेडा में बादी सत्यप्रकाश 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज गनेशीदास के हिस्सा 1/12 के नाम को कलमजद किया जाकर वादी सत्यप्रकाश को स्वयं का 1/12 हिस्सा तथा गनेशीदास का 1/12 हिस्सा कुल 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपनी बहस में बकील वादी द्वारा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत् इनकार किया है । अतः बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत् दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.04.2021 को जारी की गई ।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
राजाखेडा (धौलपुर)